

श्रीमान जी, पटवारी रिपोर्ट
 ग्राम हिलवाडी के खसरा संख्या 244 में खसरेदार काबु नाबा. पुत्र गोविन्द दर्ज है मुताबिक
 आजार केर्ड के काबु पुत्र गोविन्द नामिक ही पुका है। अतः काबु नाबा. पुत्र गोविन्द को
 नाबालिक से बालिक किया जाना उचित होगा।
 रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में भेजा है।

पर दिनांक
 11/10/25

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के आधी काबु नाबा. पुत्र को काबु. काबु पुत्र की
 दुरुस्ती किया जाना उचित है।
 9.10.25
 11/10/25

तहसीलदार की रिपोर्ट
 प.ह. की रिपोर्ट व भू.अ.नं. की जांच के आधार पर दुरुस्ती
 की जाने की अभिशाला की जाती है।
 शिविर प्रभारी
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 699

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 14/10/25

क्रमांक/401

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन
 किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख
 निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
 धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हिलवाडी तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2072
 के खाता संख्या 294 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया
 जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल करामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1	काबु नाबा. पुत्र गोविन्द शेष 0350	011-7	0.52	काबु पुत्र गोविन्द शेष 0350	011-7	0.52

क्रमांक:- 5695-96

दिनांक:- 14/10/25

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर



प्रतिक्रिया:- 1) तहसीलदार नसीराबाद को पत्राचार
 2) कोडशा पत्राचार